न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./22/2014/बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. बगताराम पुत्र माधाराम जाति कलबी निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. मृतक दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह कायम मुकाम 1/1श्रीमती धर्मकंवर पत्नी दलपतसिंह 1/2दशरथसिंह पुत्र दलपतसिंह 1/3भरतसिंह पुत्र दलपतसिंह 1/4मुस्मात अनुकंवर पुत्री दलपतसिंह 2. फतेहसिंह पुत्र तखतसिंह का.मु 2/1मोहरकंवर पत्नी फतेहसिंह 2/2श्रवणसिंह पुत्र फतेहसिंह 2/3बबलूकंवर पुत्री फतेहसिंह फौत नाम डिलीट 2/4मंजूकंवर पुत्री फतेहसिंह 2/5जीवनबाला पुत्री फतेहसिंह 3. श्रीमती छेलकंवर पुत्री तखतसिंह 4. मूलसिंह पुत्र तखतसिंह 5. हरीसिंह पुत्र तखसिंह के कायम मुकाम 5/1श्रीमती सरोजकंवर बेवा हरीसिंह 5/2भोपालसिंह पुत्र हरीसिंह 5/3धर्मसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ा तहसील समदड़ी 6. श्रीमती गवरी देवी बेवा माधाराम फौत नाम डिलीट 7. हितेशकुमार पुत्र चतराराम 8. श्रीमती ढम्पोदेवी पत्नी चतराराम जाति कलबी चौधरी निवासी मेली तहसील सिवाना 9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

24/2013 बउनवान तखतसिंह बनाम मृतक माधाराम के कायम मुकाम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़, अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रामेश्वरलाल गहलोत, उत्तरदाता की ओर से व उत्तरदाता संख्या 2/2 स्वयं।

निर्णय

दिनांकः—09.06.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा मेली पटवार क्षेत्र मेली, तहसील सिवाना में वर्तमान खसरा संख्या 168 रकबा 27.11 बीघा भूमि अवस्थित है। जिसके द्वितीय भू प्रबंध संवत 2024 मुताबिक वर्ष सन् 1967 से पहले के खसरा संख्या 215 रकबा 47.01 बीघा थे। वाद प्रकरण में वादी का यह Averment है कि द्वितीय भू प्रबंध के समय वादी का नाम अवैध रूप से काट कर उसके स्थान पर अपीलकर्तागण के हक पूर्वाधिकारी स्व. माधाराम पुत्र मोटाराम कौम पिटल का नाम लिख दिया गया, जिसका भू प्रबंध अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। भू प्रबंध अधिकारियों को केवल प्रथम भू प्रबंध की प्रविष्टियों को द्वितीय भू प्रबन्ध की प्रविष्टियों में पुनरावृर्ति ही करना था, किन्तु बिना हक ट्रांसफर, बेचान, बख्सीस के वादी के नाम के स्थान पर मृतक मादाराम वल्द मोटाराम का नाम दर्ज कर दिया, जिसका भू प्रबन्ध अधिकारियों को अधिकार प्राप्त नहीं था। वादी के वाद पत्र में वर्णित किया है कि संवत 2029 के बाद विगत 41 वर्षों से अपीलकर्तागण के हक पूर्वाधिकारी माधाराम व उसके बाद अपीलकर्तागण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रहा है। इसलिए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/उत्तरदाता द्वारा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त करने योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों एवं विधि के द्वारा स्थापित सिद्धांतों का मनमानी तरंग पर अतिलंघन कर गलत एवं अशुद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है। उत्तरदाता/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा परिशोधन पत्र, फर्द नं. 83, फर्द इकतलाफ इन्द्राज खसरा संख्या 168 व 215 के सारवान तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय से साशय छिपा कर Non-disclosure of fact कर स्वच्छ हाथों (Clean Hands) से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। उत्तरदाता/वादी का यह आचरण न्यायालय के साथ कपट की श्रेणी में आता है। इसलिए वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं रह जाता है, क्योंकि विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि "He who has committed inequity shall not have equity"। हस्तगत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1/3 हितेष कुमार स्वीकृत रूप से नाबालिग था, किन्तु उसकी तामीली प्रक्रिया विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अंतर्गत आदेश 32 नियम 04 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं अपनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य वादी में गवाहन पी. डब्ल्यू. 01 तखतसिंह(वादी) पी.डब्ल्यू 02 फतेहसिंह एवं पी. डब्ल्यू 03 देवाराम के बयान कलमबद्ध किये गये। वादी साक्षी पी.डब्ल्यू 1 ने साक्ष्य प्रदर्श 01 से प्रदर्श 08 कर उन पर प्रदर्श अंकित किया। किंतु दस्तावेजात की अर्न्तवस्तु को (Contents) को सिद्ध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजात को Relied upon नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माननीय अपेक्स न्यायालय का यह आबद्धकारी अधिमत हैं कि "Contents of the document can not be proved by nearly filling in a court". अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र कयास पर ही बिना किसी सारवान सामग्री के निर्णय व डिक्री पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलाधीन आराजी पर वक्त सेटलमेंट से अपीलांटगण के हकपूर्वाधिकारी का कब्जा काश्त रहा है। वादी/उत्तरदाता द्वारा मिथ्या कथन करते हुए हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत, न्यासंगत व तर्कसंगत नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। वादी/उत्तरदाता स्वयं ने वक्त सेटलमेंट अपीलांट के हकपूर्वाधिकारी कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे तथा वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट के नाम से जारी किये गये सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील करवाये गये। प्रतिवादी हितेश कुमार पुत्र स्व. चतराराम नाबालिग होने से जरिये कुदरती वली माता ढंपोदेवी को संरक्षक बनाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांट ने अपनी तरफ से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री जयप्रकाश रामदेव को नियुक्त किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने समय–समय पर पैरवी की तथा जबाव पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण को जबाव पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जबाव दावा पेश नहीं किया गया। उत्तरदाता/वादी ने अपनी साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पी. डब्ल्यू. 1 तखतसिंह, पी.डब्ल्यू 2 फतेहसिंह, पी. डब्ल्यू 3 देवाराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–8 प्रदर्शित करवाये गये। अपीलांट के दादा श्री मोटाराम ने बिना किसी विधिक आधार एवं सक्षम न्यायालय के आदेश बिना सिवायचक की भूमि अपने पुत्र माधाराम के हक में 3/4 हिस्से का अभिलेख राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया। अपीलांट के दादा श्री मोटाराम चौधरी इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे। तथा उसके बाद भी विधानसभा क्षेत्र सिवाना के सन् 1952 के निर्वाचित विधायक थे तथा उसके बाद भी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे, जिसकी राजस्थान सरकार की ऑन–लाईन रिजल्ट सूची पेश की गई। भूतपूर्व विधायक तत्कालीन समय में सरपंच थे तथा वादग्रस्त भूमि के वक्त सेटलमेंट 1968 में राजस्व रेकर्ड में भारी फेरबद्ल करवाया गया। वादग्रस्त भूमि को अपने पुत्रों के नाम का नामांतकरण दर्ज करवा दिया गया था। सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया एवं आदेश के सिवायचक की भूमि अपने पुत्र के नाम अंकित करवा दी तथा अपने स्वयं के नाम की भूमि भी अपने पुत्रों के नाम अंकित करवा दी। उक्त दोनों दस्तावेज केवल मात्र कब्जे के आधार पर अंतरण किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि विधि का स्पष्ट सिद्धांत है कि सेटलमेंट अधिकारियों को पूर्व में दर्ज रेकर्ड को पुनः नया रेकर्ड में दर्ज करना होता है। सेटलमेंट अधिकारियों को राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व विधि अनुसार खसरा नम्बर 215 के खातेदारी वादी तखतसिंह का नाम राजस्व के सभी रेकर्ड में संवत 2009 से संवत 2029 तक लगातार दर्ज है। खसरा संख्या 215 का खसरा बंदोबस्त दस्तावेज तैयार किया गया था। उसमें गत खातेदार एवं वर्तमान खातेदार के दोनों कॉलम में रेस्पोडेंट तखतसिंह का नाम दर्ज किया गया था जो कि न्यायसंगत था बाद में वर्तमान खातेदार तखतसिंह के नाम पर कांट–छांट करके नीचे अपीलांट के पिता माधाराम उर्फ मगाराम का नाम लिख दिया गया जो कि बिल्कुल गलत, गैरकानूनी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एवं संबंधित भू प्रबंध कर्मचारियों ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजस्व विधि एवं भू प्रबंध नियमावली के विपरीत कार्य किया है। माननीय न्यायालय के अवलोकन हेतु उक्त खसरा परिशोधन पत्र एवं खसरा बंदोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपि श्री न्यायालय में पेश की गई है। उक्त खसरा परिशोधन पत्र को भू प्रबंध विभाग की टीम के तत्कालीन भू निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित इस अनाधिकृत रूप से तैयार किये गये इस कूटरचित एवं अपंजीकृत दस्तावेज प्रथम दृष्टया गलत जारी किया गया है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान संवत 2024 में तैयार किये गये भू प्रबंध विभाग के मूल दस्तावेज "खसरा बंदोबस्त" की प्रतिलिपि जिसमें कांट–छांट करके खातेदार तखतसिंह का नाम बदल दिया था? खसरा परिशोधन पत्र पर न तो गांव का नाम लिखा है न तहसील का नाम लिखा है और न ही जिले का नाम लिखा है। अपीलांट के पिता का नाम जो प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत 2028 में खाता संख्या 75 में माधाराम वल्द मोटाराम कौम पीटल दर्ज किया हुआ है जिसके आगे माधाराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 448 रकबा 07 बीघा, खसरा संख्या 422 रकबा 14.04 बीघा, खसरा संख्या 663 रकबा 20.03 बीघा, खसरा संख्या 851 रकबा 07.02 बीघा कुल रकबा 69.04 बीघा बनती है। उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 4 के कॉलम संख्या 5, 6, 7 व 8 खसरा संख्या 168 रकबा 27.11 बीघा लिखा हुआ है, जो सेटलमेंट अधिकारियों या किसी हल्का पटवारी ने उक्त जमाबंदी तैयार करने के बाद अपीलांट के पिता का अवैध रूप से लाभ पहुंचाने के लिए तैयार कर खाता संख्या 75 में नया खसरा जोड़ा गया। इस प्रकार खाता संख्या 75 में पूर्व के चार खसरों के स्थान पर पांच खसरे हो गये। ऐसे अलग व कूटरचित इन्द्राजों से अपीलांट को कोई विधिक रूप से हक अर्जित नहीं होते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 112 के अंतर्गत खसरा बंदोबस्त तैयार करना जरूरी है। खसरा बंदोबस्त रेकर्ड में एक बुनियादी कागज है या यों कहें कि बंदोबस्त की नींव है। भू प्रबंध की सर्वे की कार्यवाही के दौरान सबसे पहले यह खसरा बंदोबस्त नाम का प्रपत्र ही तैयार किया जाना चाहिए। इस पत्रक से ही दूसरे सभी अभिलेख तैयार होते हैं, खसरा बंदोबस्त की खानापूर्ति बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। जांच करने वाले अफसरों को भी सतकर्तापूर्वक जांच करनी चाहिए। खसरा बंदोबस्त में जो इंद्राज किये जावे वे मौके के खिलाफ नहीं होने चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटस का उद्देश्य वादी/उत्तरदाता को मिले खातेदारी अधिकारों से येन केन प्रकारेण वंचित करना है। इसलिए गलत तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। अतः

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट की अपील खारिज कर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे। उत्तरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

WLN 2014(3) Page 196
RRT 2022(1) Page 35
RRT 2020(1) Page 37
RRT 2001(1) Page 244
RRT 2019(2) Page 970
RRT 2001(2) Page 1269
RRT 2007(1) Page 27
RRD 1999 Page 514
RRT 2021(2) Page 1016

अपीलांट एवं उत्तरदाता द्वारा अलग–अलग पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया इसलिए अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य पेश कर रहा है। दस्तावेज राजकीय अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि है, जिसकी जेनुईननेस में कोई संदेह नहीं हो सकता है। संलग्न दस्तावेज इस अपील प्रकरण के निस्तारण के लिए नितांत अहम दस्तावेज हैं। अतः अपीलांट का उपरोक्त आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर दस्तावेज रेकर्ड पर लिया जावे। साथ ही उत्तरदाता द्वारा दिनांक 24.03.2023 को पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के जबाव में बहस करते हुए निवेदन किया कि उत्तरदाता द्वारा उक्त आवेदन के साथ राजस्व अभिलेख के अलावा पेश दस्तावेजात का हस्तगत प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। अतः राजस्व अभिलेख की प्रतियों को रेकर्ड पर लेते हुए अन्य दस्तावेजात को रेकर्ड पर नहीं लिया जावे।

उत्तरदाता अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 24.03.2023 हमारे द्वारा पेश उक्त आवेदन के साथ पेश दस्तावेजात प्रकरण के न्यायिक निस्तारण में आवश्यक दस्तावेज हैं जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाकर हमारे आवेदन को स्वीकार फरमाया जावे। साथ ही अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी कब पेश किया गया हमारी जानकारी में नहीं है। अतः अपीलांट का उक्त आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष के दोनों प्राथना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर बहस सुनी गई। संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उक्त

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवेदनों के संलग्न दस्तावेजात प्रकरण के अंतिम निस्तारण में सहायक है। इसलिए उक्त दोनों प्रार्थना–पत्रों को स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजात को रेकर्ड पर लेने हेतु अनुज्ञात किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधनीस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। भू प्रबन्धक (सेटलमेंट) विभाग के (फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा) खसरा परिशोधन पत्र में स्पष्ट विवरण आया है कि तखतसिंह ने जाहिर किया कि ख.नं. 168 पर माधाराम का कब्जा काश्त है। मेरे नाम से खारिज कर माधाराम के नाम दर्ज फरमाया जावे। जिसकी तस्दीक मुख्यीयान देह करते हैं। अतः उचित आदेश हेतु प्रस्तुत है। तेजसिंह निरीक्षक भू.अ. स्वीकृत भ.सिंह(भवानीसिंह) सेटलमेंट अधिकारी सर्किल जोधपुर" उक्त खसरा परिशोधन पत्र पर वादी/उत्तरदाता तखतसिंह स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट के हकपूर्वाधिकारी का कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से आज दिनांक तक है। उक्त तथ्य को वादी स्वयं ने खसरा परिशोधन पर अपने ओर से जाहिर कथनों में स्वीकार किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा जागीरदारी उन्मूलन के पश्चात वक्त सेटलमेंट जागीरदारान के अधिकार समाप्त कर जो व्यक्ति जिस जिस भूमि पर काश्त करता था उनके कब्जे काश्त अनुसार भूमियां काबिज व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज की गई। अपीलाधीन आराजी पूर्व खातेदारान की पैतृक भूमि की श्रेणी में न आकर स्वअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है। इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत खसरा परिशोधन पत्र से साबित है। इसका तात्पर्य है कि वादग्रस्त भूमि उस वक्त जिस कृषक के काबिज काश्त थी उसी अनुरूप उसी की खातेदारी में दर्ज हुई है। जिसका वादी/उत्तरदाता की खातेदारी में होने कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए इस वादग्रस्त भूमि को वादी की खातेदारी में आलोच्य निर्णय से मान लेना कोरी कल्पना है। यह तथ्य साक्ष्य से साबित नहीं है।

- वादी/उत्तरदाता तखतसिंह द्वारा खसरा परिशोधन पत्र पर अपनी दी गई सहमति से विबन्ध के सिद्धांत के आधार पर इंकार करने का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 115 व वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 121 के तहत वादी/उत्तरदाता तखतसिंह द्वारा खसरा परिशोधन पत्र में अपीलाधीन आराजी के संबंध में किये गये कथन के कारण आक्षेप उठाने से विबंधित (ESTOPPEL) है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उक्त तथ्यों दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए आलोच्य निर्णय व डिक्री पर्चा पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित राजस्व जमाबंदियों के अवलोकन से यह भी स्थापित है कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट के हकपूर्वाधिकारी माधाराम के खातेदारी की भूमि रही है।

- राज्य सरकार द्वारा द्वितीय सेटलमेंट का आयोजन वाद पेश करने से पूर्व लगभग 44 वर्ष हो चुके हैं। द्वितीय सैटलमेंट में वादी/उत्तरदाता स्वयं द्वारा दस्तखती स्वीकृति दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के अनुसार "तीस वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारण जहां कोई दस्तावेज जिसकी तीस वर्ष पुरानी होना तात्पर्यित है या सबित किया गया है ऐसी किसी अभिरक्षा में से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है पेश किया गया है।" विधि के परिपेक्ष में स्वयं तखतसिंह द्वारा अपीलांट के हकपूर्वाधिकारी के नाम खातेदारी दर्ज करने संबंध में इबारत अंकित करवाई गई।
- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की कोई तनकी कायम नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को वादी के गवाहों से जिरह करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र वादी के कथनों को एकतरफा विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो निरस्त योग्य है।
- उत्तरदाता द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष पेश लिखित बहस के बिंदु संख्या 19 में इस बात को स्वीकार किया गया कि "सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया एवं आदेश के सिवायचक की भूमि अपने पुत्र के नाम अंकित करवा दी" इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलाधीन आराजी वादी/उत्तरदाता की खातेदारी भूमि नहीं थी। वक्त सेटलमेंट अपीलांट के हक पूर्वाधिकारी का कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकारों का सही अंकन किया गया।
- अपीलाधीन आराजी पर वर्तमान में अपीलांट/प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा ऋण/केसीसी ले रखी है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं गिरदावरी में भी काश्त अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। अपीलाधीन आराजी के संबंध में मौके के फोटो पत्रावली पर पेश किये गये जो अपीलांट/प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त साबित करते हैं।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय के अवलोकन से निम्नलिखित कई त्रुटियां स्पष्ट इंगित होती हैं:–

(अ) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2014 को पारित की गई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1/3 हितेश कुमार पुत्र स्व. चतराराम नाबालिग को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से नाबालिग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नाबालिग की कुदरती वलिया जो ग्रामीण अनपढ महिला है। नावलिग के हितों के संरक्षण हेतु कोई प्रभावी पैरवी नहीं की जा सकी। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व आदेश 32 नियम 04 सी पी सी के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री नाबालिग के हितों के विरूद्ध पारित की गई जो प्रारम्भ से ही शून्य है।

(ब) वाद पत्र वादीगण की कोरी कल्पना पर आधारित है, वास्तविकता से परे है। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात के अनुसार वादी द्वारा लालच में आकर हस्तगत वाद पेश किया गया। जिसे विधि विरूद्ध तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया।

(स) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा पेश दस्तावेजात को कौनसी दिनांक/मिति/तिथि/वार को प्रदर्श अंकित किया गया इसका पत्रावली में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। दस्तावेजात पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए दस्तावेजात पर केवल पृष्ठांकन अंकित करने गात्र से दस्तावेज प्रदर्शित होकर पढा नहीं जा सकता।

(द) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य वादी ने गवाहन पी. डब्ल्यू. 01 तखतसिंह(वादी) पी.डब्ल्यू 02 फतेहसिंह एवं पी. डब्ल्यू 03 देवाराम के बयान कलमबद्ध किये गये। वादी साक्षी पी.डब्ल्यू 1 ने साक्ष्य प्रदर्श 01 से प्रदर्श 08 कर उन पर प्रदर्श अंकित किया। किंतु दस्तावेजात की अर्न्तवस्तु को (Contents) को सिद्ध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजात को **Relied upon** नहीं किया जा सकता हैं, क्योंकि माननीय अपेक्स न्यायालय का यह आबद्धकारी अधिमत है कि "**Contents of the document can not be proved by nearly filling in a court**". अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र कयास पर ही बिना किसी सारवान सामग्री के निर्णय व डिक्री पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

समग्र विवेचन एवं चिंतन मनन पश्चात न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के संबंध में निष्कर्ष है कि:–

1. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का एकतरफा विवेचन किया जाकर प्रकरण अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत किया गया। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

2.अपीलाधीन निर्णय व डिक्री नाबालिग के हितों के विरूद्ध पारित की गई, जो विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन, तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्य तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटस की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2013 बउनवान तखतसिंह बनाम मृतक माधाराम के कायम मुकाम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2014 को अपास्त/खारिज किया जाता है। उपरोक्त समग्र विवेचन के आलोक में वादी का वाद–पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

9/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/6/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर